

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 578 / 14

संस्थापन दिनांक : 04.07.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-जोगा उर्फ जोगेन्द्र गुर्जर पुत्र गब्बरसिंह गुर्जर, उम्र
21 वर्ष, निवासी ग्राम बघराई थाना गोहद जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 452, भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.04.14 को 17:45 बजे फरियादी शैलेश अ0सा01 को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात उसकी दुकान में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.14 को पौने छः बजे के करीब फरियादी शैलेश कुमार अ0सा01 अपनी दुकान पर ग्राहक को कपड़े दिखा रहा था तभी जोगा गुर्जर निवासी कैची की पुलिया गोहद का तथा उसके दो अन्य साथी जिनके वह नाम नहीं जानता उसकी दुकान के अंदर आकर बोले कि पैन्ट शर्ट दिखलाओ उसने पैन्ट शर्ट दिखाये फिर जोगा गुर्जर ने पैन्ट शर्ट पहनकर देखी तथा दाम पूछे उसने शर्ट के दाम 430/-रुपये बतलाये तब आरोपी जोगा ने कहा कि सही दाम लगाओ तथा आरोपी जोगा ने उसकी गिरेवान पकड़ ली तथा अश्लील मां-बहन की भद्दी गालियां देने लगा जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके गले में हाथ डाला तथा झूमाझटकी कर तीनों वहां से भाग गये। तत्पश्चात फरियादी शैलेश अ0सा01 ने थाना गोहद में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर थाना गोहद में अप0क्र0 135/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना

उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 25.04.14 को 17:45 बजे फरियादी शैलेष अ0सा01 को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात उसकी दुकान में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. शैलेष अ0सा01 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व शाम पौने छः बजे उसका आरोपी जोगा उर्फ जोगेन्द्र से कपड़े के लेनदेन को लेकर वाद विवाद हो गया था झूमाझटकी ओर गाली गलौच हो गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी-1 उसने थाने पर जाकर की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी जागेन्द्र ने उसकी दुकान के अंदर घुसकर उसके साथ मारपीट की थी अपितु कथन किया है कि दुकान के बाहर रोड पर झूमाझटकी की थी। इस आशय के तथ्य रिपोर्ट प्र0पी-1 और कथन प्र0पी-3 में उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर इस साक्षी ने पुलिस को बताये जाने से इंकार किया है। अतः गृहअतिचार के संबंध में फरियादी के कथनानुसार रोड पर मात्र झूमाझटकी हुई थी।
6. प्रकरण में शैलेष अ0सा01 फरियादी और आहत साक्षी है जो महत्वपूर्ण साक्षी है। परन्तु उसी के द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। नक्शामौका प्र0पी-2 के संबंध में उक्त नक्शा उसके समक्ष न बनाया जाना बताया है और घटना सार्वजनिक मार्ग पर होना बतायी है। अतः अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 25.04.14 को 17:45 बजे फरियादी शैलेष अ0सा01 को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात उसकी दुकान में प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया।
7. परिणामतः आरोपी को धारा 452 भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0